न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/जजा (अ. नि.) प्रकरण बारां, जिला–बारां(राज0)

सेशन प्रकरण संख्या 114/2016 (112/2016) बउनवान राज्य बनाम पप्पू उर्फ महावीर वगै0

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये
07.11.2025	विशिष्ठ लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण हरीश शर्मा, हरिराम, राजकुमार, राजाराम, भीमसिंह अनुपस्थित हैं, जिनकी ओर से हाजिरी माफी दरख्वास्त पेश हुई जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। प्रकरण में दिनांक 28.10.2025 को विशिष्ठ लोक अभियोजक की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि पूर्व में प्रकरण में जप्तशुदा माल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ था। अब पुलिस थाना किशनगंज द्वारा उक्त माल को न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके संबंध में पी.ड. 23 गोवर्धनलाल को पुनः साक्ष्य हेतु तलब किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा माल पूर्व में विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त माल पर आर्टिकल डलवाए जाने हेतु गवाह पी.ड. 23 गोवर्धनलाल को पुनः तलब करवाना चाहा है। धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय विचारण के दौरान किसी भी ऐसे गवाह को साक्ष्य हेतु पुनः तलब कर सकता है जो प्रकरण के न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। हस्तगत प्रकरण में जहां पूर्व में विचारण के दौरान जप्तशुदा माल न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है तो उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित गवाह को पुनः साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्तानुसार विशिष्ठ लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। 7/11/25 विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण बारां, जिला–बारां(राज.)	

आदेश की पालना में प्रकरण में गवाह पी.ड. 23 गोवर्धनलाल को पुनः जर्ये जमानती वारण्ट 5000/- तलब किया जावे। प्रकरण में गवाह संख्या 32 व 33 की तामील अदम आयी हैं। पुनः उक्त गवाहों को जर्ये गिरफ्तारी वारण्ट तथा गवाह संख्या 19 को जर्ये जमानती वारण्ट 5000/- से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य पैरवी दिनांक 15.11.2025 को पेश हो।

7/11/25

विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा. / ज.जा. (अ.नि. अधि.)
बाराँ (राज.)